GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COOPERATION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.94
TO BE ANSWERED ON 4th December 2024

FRAUDS IN MULTI STATE COOPERATIVES

94: SHRI GOLLA BABURAO:

Will the Minister of COOPERATION be pleased to state:

(a) the number of Multi State Co-operative Societies (MSCSs) registered in the country at present;

(b) the number of MSCSs that are currently active and operational, State-wise;

(c) whether Government has taken any steps to address issues of mismanagement and financial frauds in MSCSs; and

(d) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COOPERATION
(SHRI KRISHAN PAL)

(a) 1702 Multi State Cooperative Societies (MSCS) have been registered in the country under MSCS Act. State-wise details of registered MSCS is at Annexure – A

(b) Out of 1702 MSCS, 100 are Non-Functional as winding up proceedings are underway after appointment of liquidators. State-wise details of MSCS under liquidation is at Annexure – B

(c) & (d) In order to address issues of mismanagement and financial frauds, to strengthen governance, enhance transparency, increase accountability and reform electoral process, etc. the MSCS Act & Rules where comprehensively amended and notified on 03.08.2023 and 04.08.2023 respectively by supplementing existing legislation and incorporating the provisions of Ninety-seventh Constitutional Amendment.

Many provisions have been introduced via the above amendment to bring transparency in the functioning of multi state cooperative societies and prevent financial irregularities therein, inter-alia: -

i. To ensure timely, regular and transparent conduct of elections in the multi-State cooperative societies, provision of Cooperative Election Authority has been included.

ii. Appointment of Co-operative Ombudsman by Central Government to provide a mechanism to address grievances of members.

iii. To improve transparency, appointment of Information Officer by multi-State cooperative societies to provide information to members.

iv. Concurrent Audit has been introduced for Multi-State Cooperative Societies with turnover/deposits of more than 500 crore rupees from a panel of auditors approved by Central Registrar. Concurrent audit will ensure early detection of fraud or irregularities, if any, and accordingly prompt course corrections can be made. Following two panels of auditors for Multi-State Cooperative Societies have been notified for financial year 2023-24:

1) Panel of auditors for multi-State cooperative societies having an annual turnover/ deposit (as the case may be) of up to five hundred crore rupees for carrying out Statutory Audit.

2) Panel of auditors for multi-State cooperative societies having an annual turnover/ deposit (as the case may be) of more than five hundred crore rupees for carrying out Statutory and Concurrent Audit.

v. Audit reports of National co-operative societies to be laid in Parliament to improve transparency.

vi. Accounting and auditing standards for multi-State cooperative societies to be determined by Central Government to ensure uniformity in accounting and auditing.

vii. To improve governance and transparency, annual report of multi-State cooperative societies to include Board decisions which are not unanimous.

viii. Central Government to determine prudential norms (liquidity, exposure, etc.) for multi-State co-operative societies in the business of thrift and credit.

ix. To curb nepotism and favouritism in multi-State co-operative societies, the Director of a multi-State cooperative society shall not be present in the discussion and vote on matters where he or his relatives are an interested party.

x. Additional grounds for disqualification for directors have been made to improve governance, for better recovery of dues and to ensure that such acts of omission or commission or fraud are not repeated elsewhere.

xi. Provisions for Investment of funds by the multi-State cooperative societies have been redefined to ensure safer investments and remove references to colonial era securities.

xii. To have more financial discipline and transparency, the board of multi-State co-operative societies to constitute Committee for Audit and Ethics amongst other committees.

xiii. For strengthening governance, criteria for appointment of Chief Executive Officer (CEO) stipulated.

xiv. To enhance democratic decision making in the multi-State cooperative societies, quorum has been prescribed for board meetings.

xv. Central Registrar to conduct inquiry if he gets information that business is being conducted in a fraudulent manner or for unlawful purposes.

xvi. If registration obtained by misrepresentation, fraud, etc., provision for winding up of a multi-State cooperative society after giving opportunity of being heard.

xvii. To discourage members from acting against collective interests of the multi-State co-operative societies, the minimum period of expulsion of an expelled member of a multi-State co-operative society has been increased from 1 year to 3 years.

*****

Annexure – A

Table 1: List of registered Multi State Cooperative Societies in different states/ Union territories in the country under MSCS Act as on 28th November, 2024.

Sl. No.	State/UT Name	Societies
1	Andhra Pradesh	23
2	Arunachal Pradesh	1
3	Assam	6
4	Bihar	21
5	Chandigarh	1
6	Chhattisgarh	8
7	Delhi	166
8	Goa	1
9	Gujarat	49
10	Haryana	22
11	Himachal Pradesh	2
12	Jammu And Kashmir	2
13	Jharkhand	11
14	Karnataka	40
15	Kerala	77
16	Madhya Pradesh	31
17	Maharashtra	691
18	Manipur	4
19	Nagaland	1
20	Odisha	20
21	Puducherry	5
22	Punjab	26
23	Rajasthan	74
24	Sikkim	1
25	Tamil Nadu	141
26	Telangana	14
27	The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	1
28	Uttar Pradesh	183
29	Uttarakhand	8
30	West Bengal	72
	Total	**1702**

Annexure – B

Table 2: The list of number of Multi-State Cooperative Societies including banks, which are under liquidation, state-wise: -

Name of State	**No. of MSCS**
Andhra Pradesh	2
Bihar	1
Delhi	11
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1
Goa	1
Gujarat	4
Jharkhand	1
Maharashtra	18
Odisha	11
Punjab	1
Rajasthan	26
Tamil Nadu	3
Telangana	2
Uttar Pradesh	12
Chandigarh	1
West Bengal	5
Total	**100**

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 94

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2024 (13) अग्रहायण, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

बहुराज्यीय सहकारी समितियों में धोखाधड़ी

94 **श्री गोला बाबूरावः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में कितनी बहुराज्यीय सहकारी समितियां (एमएससीएस) पंजीकृत हैं;

(ख) वर्तमान में सक्रिय और प्रचालनरत एमएससीएस की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने एमएससीएस में कुप्रबंधन और वित्तीय धोखाधड़ी के मुद्दों से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल)

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत देश में 1702 बहु राज्य सहकारी समितियां (MSCS) पंजीकृत की गई हैं । पंजीकृत MSCS का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-क में संलग्न है।

(ख) 1702 बहु राज्य सहकारी समितियों (MSCS) में से 100 गैर-कार्यशील हैं क्योंकि इनमें परिसमापकों की नियुक्ति के बाद परिसमापन की कार्यवाही चल रही है । परिसमापन के अधीन (MSCS) का राज्यवार विवरण अनुलग्नक - ख में संलग्न है ।

(ग) और (घ) कुप्रबंधन और वित्तीय धोखाधड़ी के मुद्दों को दूर करने, शासन को सशक्त करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार आदि के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियम जहां मौजूदा कानून को पूरक करके और सत्तानवेवां संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को सम्मिलित करके क्रमशः 03.08.2023 और 04.08.2023 को व्यापक रूप से संशोधित और अधिसूचित किया गया है ।

बहु-राज्य सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और उनमें वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए उपर्युक्त संशोधन के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ अनेक प्रावधानों को समाविष्ट किया गया हैं : -

i. बहु-राज्य सहकारी समितियों में समय पर, नियमित और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन संचालन सुनिश्चित करने के लिए, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के प्रावधान को शामिल किया गया है ।

ii. सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहकारी ऑम्बड्समैन की नियुक्ति ।

iii. पारदर्शिता में सुधार करने के लिए, सदस्यों को जानकारी प्रदान करने हेतु बहु-राज्य सहकारी समितियों द्वारा सूचना अधिकारी की नियुक्ति ।

iv. केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के एक पैनल से 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर/जमा वाली बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा शुरू की गई है । समवर्ती लेखापरीक्षा धोखाधड़ी या अनियमितताओं, यदि कोई हों, का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित करेगी और तदनुसार त्वरित सुधार किए जा सकते हैं । वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियों के लेखापरीक्षकों के निम्नलिखित दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं :

1) सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जैसा भी मामला हो) वाली बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए लेखापरीक्षकों का पैनल।

2) सांविधिक और समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जैसा भी मामला हो) वाली बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल ।

v. पारदर्शिता में सुधार के लिए राष्ट्रीय सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी ।

vi. लेखांकन और लेखापरीक्षा में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए लेखांकन और संपरीक्षा मानक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

vii. प्रशासन और पारदर्शिता में सुधार के लिए, बहु-राज्य सहकारी समितियों की वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के उन निर्णयों को भी शामिल किया जाएगा जो सर्वसम्मत नहीं हैं ।

viii. केंद्र सरकार थ्रिफ्ट और क्रेडिट के कारोबार में बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड (तरलता, एक्सपोजर, आदि) निर्धारित करेगी ।

ix. बहु-राज्य सहकारी समितियों में भाई-भतीजावाद और पक्षपात पर अंकुश लगाने के लिए एक बहु-राज्य सहकारी समिति के निदेशक चर्चा में उपस्थित नहीं होंगे और उन मामलों पर मतदान नहीं करेंगे जहां वे या उनके रिश्तेदार एक इंटेरेस्टेड पार्टी हों ।

x. प्रशासन में सुधार लाने, बकाया राशि की बेहतर वसूली तथा इस प्रकार की चूक या धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, के लिए निदेशकों की अयोज्ञता हेतु अतिरिक्त आधार बनाए गये हैं ।

xi. सुरक्षित निवेश सुनिश्चित करने और औपनिवेशिक युग की प्रतिभूतियों के संदर्भ को हटाने के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियों द्वारा धन के निवेश के प्रावधानों को पुनः परिभाषित किया गया है ।

xii. अधिक वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के लिए, बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड को अन्य समितियों के साथ लेखापरीक्षा और नैतिकता के लिए समिति का गठन करना होगा ।

xiii. शासन को सशक्त करने के लिए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) की नियुक्ति हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं ।

xiv. बहु-राज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक निर्णय लेने को बढ़ावा देने हेतु बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम निर्धारित किया गया है ।

xv. यदि केंद्रीय पंजीयक को जानकारी मिलती है कि व्यवसाय धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तो वह जांच करेगा ।

xvi. यदि पंजीकरण मिथ्याकरण, धोखाधड़ी आदि द्वारा प्राप्त किया गया है, तो सुनवाई का अवसर देने के बाद बहु-राज्य सहकारी सोसायटी के परिसमापन का प्रावधान ।

xvii. सदस्यों को बहु-राज्य सहकारी समितियों के सामूहिक हितों के खिलाफ कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए, एक बहु-राज्य सहकारी समिति के निष्कासित सदस्य के निष्कासन की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है ।

*****

अनुलग्नक – क

तालिका 1: 28 **नवंबर**, 2024 **को एमएससी अधिनियम के तहत देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पंजीकृत बहु राज्य सहकारी समितियों की सूची।**

क्रम सं.	**राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**समितियां**
1	आंध्र प्रदेश	23
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	6
4	बिहार	21
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ़	8
7	दिल्ली	166
8	गोवा	1
9	गुजरात	49
10	हरियाणा	22
11	हिमाचल प्रदेश	2
12	जम्मू और कश्मीर	2
13	झारखंड	11
14	कर्नाटक	40
15	केरल	77
16	मध्य प्रदेश	31
17	महाराष्ट्र	691
18	मणिपुर	4
19	नागालैंड	1
20	ओडिशा	20
21	पुड्डुचेरी	5
22	पंजाब	26
23	राजस्थान	74
24	सिक्किम	1
25	तमिलनाडु	141
26	तेलंगाना	14
27	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1
28	उत्तर प्रदेश	183

29	उत्तराखंड	8
30	पश्चिम बंगाल	72
	कुल	**1702**

अनुलग्नक – ख

तालिका 2: बैंकों सहित परिसमापनाधीन बहु-राज्य सहकारी समितियों की राज्य-वार सूची : -

राज्य का नाम	**MSCS की संख्या**
आंध्र प्रदेश	2
बिहार	1
दिल्ली	11
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1
गोवा	1
गुजरात	4
झारखंड	1
महाराष्ट्र	18
ओडिशा	11
पंजाब	1
राजस्थान	26
तमिलनाडु	3
तेलंगाना	2
उत्तर प्रदेश	12
चंडीगढ़	1
पश्चिम बंगाल	5
कुल	**100**

SHRI GOLLA BABURAO: Sir, the co-operative movement was started after the independence of India. The main objective is to develop the rural areas and agriculture. My straight question to the hon. Minister is that as per the notification of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Act & Rules, 2023, what challenges have been identified during its implementation so far, (ii) what specific steps are being taken to expedite the winding up process of the delinquent cooperative societies and (iii) how will it affect the members of the societies?

श्री कृष्ण पाल: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल किया है। हम जानते हैं कि सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने और उसकी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। ये जो Multi-State Cooperative Societies हैं, इनमें जिस तरह की धोखाधड़ी और कुप्रबंधन कई बार देखने को मिलते हैं, उनको रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, जो concurrent audit है, जो पहले नहीं होता था, साल में होता था, इसलिए यदि कहीं कुछ गड़बड़ है या कहीं धोखाधड़ी है, तो वह तुरंत संज्ञान में आए, उसके लिए सरकार ने concurrent audit का प्रावधान किया है; सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया है; सरकारी ombudsman की नियुक्ति की है; समितियां के सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है; ऑडिटरों का पैनल बनाया है, जो CAG के द्वारा बना हुआ है; समितियों के निदेशकों की योग्यता संबंधी प्रावधान किया है; बैठकों के लिए quorum निश्चित किया है और CEO के संबंध में योग्यता निर्धारित की है। इस प्रकार उसके लिए अनेक प्रावधान किये हैं।

महोदय, सहकारिता क्षेत्र अच्छी तरह फले-फूले, इसके लिए इस सरकार के आने के बाद, इस विभाग का गठन होने के बाद, 54 नयी पहलें भी शुरू की गई हैं। अगर मैं विस्तार से उन पहलों के बारे में बताना चाहूँ, तो ये 54 पहलें इसलिए हैं ताकि सहकारिता क्षेत्र फले-फूले और देश की आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान में योगदान करे। उसके लिए ये 54 पहलें शुरू की गई हैं। आप जानेंगे कि जो Multi-State Cooperative Societies हैं, जो कि आजादी से लेकर अब तक 1,702 बनीं, मंत्रालय बनने के बाद 256 नयी Multi-State Cooperative Societies बनी हैं।

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Sir, all this is already written in the reply.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Second supplementary.

SHRI GOLLA BABURAO: Sir, the reply given by the hon. Minister is not satisfactory.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are other options available under the Rules of Procedure. Please put your second supplementary.

SHRI GOLLA BABURAO: How many societies are delinquent in entire India and how many are delinquent in my State, Andhra Pradesh? What steps are actually being taken to set right all the mistakes and the mismanagement of the societies? As far as my little knowledge goes, the societies are being run by the Secretaries who are not Government employees.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have put the question.

SHRI GOLLA BABURAO: I want rectification of the entire cooperative movement in India.

श्री कृष्ण पाल: उपसभापति महोदय, मैंने अभी माननीय सदस्य को यह बताया कि पूरे देश में अभी 1,702 Multi-State Cooperative Societies हैं, जिनमें से 100 गैर-कार्यशील हैं। इनमें liquidators की नियुक्ति करने के बाद, liquidation की कार्रवाई चल रही है। Central Registrar के द्वारा समितियों में liquidators नियुक्ति करने से पूर्व सुनवाई की जाती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए उनको अवसर भी दिया जाता है। सामान्यत: इनमें राज्यों के सहकारिता विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति liquidators के रूप में की जाती है। जब इसमें liquidator नियुक्त होता है, तो यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें न्यायालय की कार्रवाई भी होती है और इसमें सरकारी एजेंसीज़ भी involved होती हैं, तो इसमें समय लगता है। चूँकि इसमें कई एजेंसीज़ भी involved होती हैं और
न्यायालय में मुकदमे लंबित भी होते हैं, इसलिए यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हंड्रेड मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी हैं, जहाँ लिक्विडेटर और winding process चल रहे हैं। मैं प्वाइंटेड क्वेश्चन इतना ही जानना चाहता हूँ कि ये जो हंड्रेड सोसाइटीज़ हैं, उनमें से कितनी सोसाइटीज़ ऐसी हैं, जहाँ धोखाधड़ी हुई है और उनमें सीबीआई की इंक्वारी चल रही है, लंबे अरसे से चल रही है और कोई-न-कोई पॉलिटिकल इक्वेशन की वजह से धोखाधड़ी करने वालों के ऊपर कारवाई नहीं हुई है? ऐसी कितनी मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जहां सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है?

श्री कृष्ण पाल: महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार धोखाधड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है।...(**व्यवधान**)... इस सरकार में किसी भी तरह की हेरा-फेरी और धोखाधड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।...(**व्यवधान**)...

धोखाधड़ी करने वाला चाहे उधर का हो, चाहे इधर का हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिलः सर, मैंने प्वाइंटेड क्वेश्चन पूछा है।...(**व्यवधान**)... मैंने सिर्फ ऐसी सोसाइटीज़ की संख्या पूछी है।...(**व्यवधान**)...

श्री कृष्ण पालः महोदय, मैं यही बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार आने के बाद इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत कदम उठाए गए हैं। यह कार्य जिन्होंने भी किया है, ऐसी सौ मल्टी-स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन सबके लिए, जैसा कि मैंने बताया कि लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है। लिक्विडेटर की कार्रवाई चल रही है।...(**व्यवधान**)... लिक्विडेटर नियुक्त हो गई है।...(**व्यवधान**)... सीबीआई की जाँच आपके कहने से थोड़े ही चलेगी।...(**व्यवधान**)... क्या आप कहेंगे और सीबीआई की जाँच हो जाएगी?...(**व्यवधान**)... यह कानूनी प्रक्रिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है।...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिलः सर, मैंने सिर्फ नंबर पूछा है।...(**व्यवधान**)...

श्री कृष्ण पालः महोदय, मैं सदन को और माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि इस सरकार के आने के बाद और इस मंत्रालय का गठन होने के बाद इस धोखाधड़ी और हेरा-फेरी को रोकने के लिए एक नहीं, बल्कि अनेक तरह के कड़े कदम उठाए गए हैं।...(**व्यवधान**)... अगर आप कहेंगे, तो मैं सबकी चर्चा कर देता हूँ।...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिलः सर, मैंने सिर्फ ऐसी सोसाइटीज़ की संख्या के बारे में पूछा है।...(**व्यवधान**)...

श्री कृष्ण पालः महोदय, इसके लिए निर्वाचन प्राधिकरण बनाया गया है।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, कृपया आप संक्षिप्त में जवाब दें।...(**व्यवधान**)...

श्री कृष्ण पालः महोदय, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस तरह के अनेक कदम उठाए गए हैं।...(**व्यवधान**)... महोदय, मैंने एक ही बात कह दी है कि यह जटिल प्रक्रिया है।...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिलः सर, मैंने सिर्फ ऐसी सोसाइटीज़ की संख्या के बारे में पूछा है।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are other options, Shaktisinh ji. आप नियम-कानून जानते हैं। अगर आप किसी भी जवाब से असंतुष्ट हैं, तो आप प्रोसीज़र में दिए गए मीडियम का

सहारा ले सकते हैं।...(**व्यवधान**)... माननीय साकेत गोखले जी, कृपया आप अपना सवाल पूछिए।...(**व्यवधान**)...

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I have a very specific and pointed question to the hon. Members. Because we are talking about scams in cooperatives, I would like to have some information from the hon. Minister. Sir, please state the total number of banks operated by multi-State cooperative societies that have been liquidated between 2019-2024 because of scams and bad loan ratios. Please also state the steps being taken by the Ministry to protect the money of the depositors which is held in these banks that do scams and get caught with bad loan ratios.

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्यगण, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत आप जानते हैं कि अगर आप किसी सवाल के जवाब से असंतुष्ट हैं या यह मानते हैं कि उस सवाल का जवाब प्रॉपर नहीं मिला है, then there are other options. आप उसके लिए अलग से Half an Hour Discussion माँग सकते हैं, माननीय चेयरमैन को लिख सकते हैं तथा उसके और भी अलग प्रोविजंस हैं। ...(**व्यवधान**)...प्लीज़। मंत्री जी, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री कृष्ण पालः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को तथा पूरे सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ और ये जानते भी हैं कि इस सरकार में धोखाधड़ी के लिए कोई स्थान नहीं है और न धोखा करने वालों के लिए कोई स्थान है।

श्री उपसभापतिः कृपया जवाब दें।

श्री कृष्ण पालः सर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसके उत्तर में मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे 70 बैंक्स हैं, जिनमें इस तरह की गतिविधियां हुई हैं और उनमें से 7 लिक्विडेशन में हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय एलओपी। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, मैं यह पूछना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं यह पूछ रहा हूँ। शक्तिसिंह जी ने यह पूछा कि आपके जो 100 मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनमें से कितनी सोसाइटीज़ की इंक्वायरी चल रही है और कितनी सोसाइटीज़ अब सीबीआई के दायरे में हैं? वे सिर्फ नंबर पूछ रहे थे, लेकिन ये नंबर छोड़कर सब round about चीज़ें बताने लगे कि हमारी सरकार टॉलरेट नहीं करती, यह ठीक नहीं है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीय एलओपी।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः*

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। Nothing is going on record now. आपको मैंने बताया कि अगर आप किसी सवाल के जवाब से असंतुष्ट हैं, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत उसके लिए proper arrangements हैं। Nothing is going on record. डा. कल्पना सैनी, आपका सवाल।

डा. कल्पना सैनीः उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि सहकारिता में क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय सहकारी परिषद के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अब तक कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं?

श्री कृष्ण पालः उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि इसमें जागरुकता फैलाने के लिए समय-समय पर हर एक तरह के जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं। आजादी से लेकर अब तक जो भी 1701 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनमें से 256 मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पिछले एक साल में नई बनी हैं। हम जो समय-समय पर जागरुकता अभियान चलाते रहते हैं, यह उसी का परिणाम है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q.No.95. Dr. V. Sivadasan.

* Not recorded.